प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक
रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल,
गंगा विहार कालोनी, चिनहट,
लखनऊ

पत्रांक–बेसिक/मान्यता–स्थायी/ 5272 /2019–20 दिनांक 7.11.19

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्बन्ध में आदेश।

महोदय,

उक्त विषयक शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक–आशु–1/6410–11/87–88 दिनांक 08.02.1988 द्वारा आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता प्रदान की गयी थी। शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 के अनुसार निर्धारित मानक/शर्ते पूर्ण कर लिए जाने एवं क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्यानुसार प्रदत्त प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 05 तक) की मान्यता के परिप्रेक्ष्य में स्थायी मान्यता का नवीनीकरण करते हुए विद्यालय संचालित रखने के निर्देश निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दिये जाते है–

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों कों प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–

   (1)प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

   (2)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।

   (3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगा।

   (4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

   (5)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

   (6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूतम अर्हताएं नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

   (7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,

   (8)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नही करेगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यक्रय का पालन करेगा।

(JAI PAL SINGH)
MANAGER
RANI LAXMI BAI MEMORIAL SCHOOL
CHINHUT, LUCKNOW

Papia
(PAPIA GUPTA)
Principal
Rani Laxmi Bai Memorial School
Ganga Vihar Colony, Chinhat
Lucknow

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–	मानकानुसार
कुल निर्मित क्षेत्रफल–	मानकानुसार
कीडास्थल का क्षेत्रफल–	मानकानुसार
कक्षाओं की संख्या–	मानकानुसार

प्रधानाध्यापक–कार्यालय–स्टाफ–पुस्तकालय/वाचनालय के लिए कक्ष– उपलब्ध है।
बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– उपलब्ध है
पेयजल सुविधा–उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– –
बाधारहित पहुँच–उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध है।

9. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यकय का पालन करेगा।
10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाऐंगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।
12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक–ओ0एम0पी0वी0–एच–55 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
18. शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11.01.2019 एवं समय–समय पर जारी समस्त शासनादेश एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डॉ0 अमर कान्त सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

पृ0सं0 एवं दिनांक–उक्तवत्

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ, इलाहाबाद।
3. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), षष्ठ मण्डल, लखनऊ
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
6. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

(JAI PAL SINGH)
MANAGER
RANI LAXMI BAI MEMORIAL SCHOOL
CHINHUT, LUCKNOW

Papia
(PAPIA GUPTA)
Principal
Rani Laxmi Bai Memorial School
Ganga Vihar Colony, Chinhat
Lucknow

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक
रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल,
गंगा विहार कालोनी, चिनहट,
लखनऊ

पत्रांक–बेसिक/मान्यता–स्थायी/ 5273 /2019–20 दिनांक 7.11.19

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्बन्ध में आदेश।

महोदय,

उक्त विषयक शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के तहत मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), षष्ठ मण्डल, लखनऊ के पत्रांक–आशु0/2629–2829/89–90 दिनांक 05.06.1989 द्वारा आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल स्तर की स्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी। शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 के अनुसार निर्धारित मानक/शर्ते पूर्ण कर लिए जाने एवं क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्यानुसार प्रदत्त जूनियर हाई स्कूल स्तर (कक्षा 06 से 08 तक) की मान्यता के परिप्रेक्ष्य में आपके विद्यालय की स्थायी मान्यता को नवीनीकृत करते हुए विद्यालय संचालित रखने के निर्देश निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दिये जाते है–

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों कों प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

   (1)प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

   (2)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा।

   (3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगा।

   (4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

   (5)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

   (6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूतम अर्हताएं नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

   (7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,

   (8)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नही करेगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यकृय का पालन करेगा।

(JAI PAL SINGH)
MANAGER
RANI LAXMI BAI MEMORIAL SCHOOL
CHINHUT, LUCKNOW

Papia
(PAPIA GUPTA)
Principal
Rani Laxmi Bai Memorial School
Ganga Vihar Colony, Chinhat
Lucknow

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–	मानकानुसार
कुल निर्मित क्षेत्रफल–	मानकानुसार
कीडास्थल का क्षेत्रफल–	मानकानुसार
कक्षाओं की संख्या–	मानकानुसार

प्रधानाध्यापक–कार्यालय–स्टाफ–पुस्तकालय/वाचनालय के लिए कक्ष– उपलब्ध है।
बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– उपलब्ध है
पेयजल सुविधा– उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– –
बाधारहित पहुँच–उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध है।

9. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यकय का पालन करेगा।
10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाऐगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।
12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकांउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक–ओ0एम0जे0एस0–21 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
18. शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11.01.2019 एवं समय–समय पर जारी समस्त शासनादेश एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डॉ0 अमर कान्त सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

पृ0सं0 एवं दिनांक–उक्तवत्

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ, इलाहाबाद।
3. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), षष्ठ मण्डल, लखनऊ
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
6. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

(JAI PAL SINGH)
MANAGER
RANI LAXMI BAI MEMORIAL SCHOOL
CHINHUT, LUCKNOW

Papia
(PAPIA GUPTA)
Principal
Rani Laxmi Bai Memorial School
Ganga Vihar Colony, Chinhat
Lucknow